वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, मार्च 09, 2015

एस.ओ.297.-राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 86 और 87 और भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 2) की धारा 74 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 को और संशोधित करने के लिए इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान स्टाम्प (संशोधन) नियम, 2015 है।

(2) ये तुरंत प्रवृत्त होंगे।

2. **नियम 23 का संशोधन.**-राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004, जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, के नियम 23 के परन्तुक में, विद्यमान अभिव्यक्ति "एक लाख" के स्थान पर अभिव्यक्ति "पचास हजार" प्रतिस्थापित की जायेगी।

3. **नियम 58 का संशोधन.**- उक्त नियमों के नियम 58 में,-

(i) विद्यमान उप-नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(1) स्थावर सम्पति के सम्बन्ध में किसी लिखत की दशा में, ऐसी सम्पति का बाजार मूल्य निम्नानुसार अवधारित किया जायेगा, अर्थात्:-

(क) कृषि, आवासीय और वाणिज्यिक प्रवर्गों की भूमि की दशा में नियम 2 के उप-नियम (1) के खण्ड (ख) के अधीन गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश की गयी दरों के आधार पर:

परंतु यह कि महानिरीक्षक स्टाम्प, यदि परिस्थितियां ऐसी अपेक्षा करें, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से शासकीय राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा जिला स्तरीय समिति द्वारा अवधारित कृषि, आवासीय या वाणिज्यिक दरों का पुनरीक्षण कर सकेगा;

(ख) भूमि के अन्य प्रवर्गों की दशा में, राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा राज्य सरकार के अनुमोदन से महानिरीक्षक स्टाम्प द्वारा अवधारित या राज्य सरकार द्वारा अवधारित दरों के आधार पर;

(ग) सन्निर्मित भाग की दशा में राज्य सरकार द्वारा अवधारित दरों के आधार पर;

(घ) बहुमंजिला भवनों के अधीन आनुपातिक भूमि की दशा में राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट मानदण्ड के आधार पर;

(ङ) बाजार मूल्य का निर्धारण करते समय सन्निर्मित भाग पर ह्रास राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट मानदण्ड के अनुसार अनुज्ञात किया जायेगा; और

(च) कोने के भू-खण्डों की दशा में राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट भानदण्ड के आधार पर।''

(ii) विद्यमान उप-नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

''(2) राज्य सरकार के अनुमोदन से महानिरीक्षक स्टाम्प कृषि, आवासीय और वाणिज्यिक प्रवर्गों की भूमि के बाजार मूल्य के अवधारण के संबंध में, समय-समय पर, जिला स्तरीय समिति के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत तैयार करेगा। कृषि, आवासीय और वाणिज्यिक प्रवर्गों की भूमि की दरों की सिफारिश करते समय जिला स्तरीय समिति महानिरीक्षक स्टाम्प द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों का अनुसरण करेगी:

परन्तु यदि जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश की गयी दरें विद्यमान दरों से 50 प्रतिशत से अधिक बढ़ा दी जाती हैं तो इस प्रकार सिफारिश की गयी वर्धित दरें महानिरीक्षक स्टाम्प के पूर्व अनुमोदन के पश्चात् ही विचार में ली जायेंगी।''

4. नियम 67-क का अंतःस्थापन.- उक्त नियमों के विद्यमान नियम 67 के पश्चात् और विद्यमान नियम 68 के पूर्व, निम्नलिखित नया नियम 67-क अंतः स्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

''**67-क. मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी द्वारा** वादों **की सुनवाई के लिए प्रक्रिया.-** राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा 65 के अधीन मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी के समक्ष फाइल किया गया पुनरीक्षण, मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी के अध्यक्ष या एकल पीठ में बैठे किसी सदस्य द्वारा या दो या दो से अधिक सदस्यों से बनी किसी पीठ, जैसा अध्यक्ष द्वारा विनिश्चित किया जाये, सुना और निस्तारित किया जायेगा। तथापि, जहां विवादित रकम दस लाख रूपये से अधिक है, वहां पुनरीक्षण मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी के दो या अधिक सदस्यों से मिलकर बनी पीठ द्वारा सुना और निस्तारित किया जायेगा।''

[एफ.4(4)वित्त/कर/2015-233]
राज्यपाल के आदेश से,
मनीष माथुर,
संयुक्त शासन सचिव

FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)

NOTIFICATION
Jaipur, March 9, 2015

S.O.297.- In exercise of the powers conferred by section 86 and 87 of the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No. 14 of 1999), and section 74 of the Indian Stamp Act, 1899 (Central Act No. 2 of 1899), the State Government hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Stamp Rules, 2004, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These Rules may be called the Rajasthan Stamp (Amendment) Rules, 2015.

(2) They shall come into force with immediate effect.

2. Amendment of rule 23.- In proviso to rule 23 of the Rajasthan Stamp Rules, 2004, hereinafter referred to as the said rules, for the existing expression "one lakh", the expression "fifty thousand" shall be substituted.

3. Amendment of rule 58.- In rule 58 of the said rules,-

(i) the existing sub-rule (1) shall be substituted by the following, namely:-

"(1) In the case of an instrument relating to immovable property, the market value of such property shall be assessed as under, namely:-

(a) in case of agriculture, residential and commercial categories of land, on the basis of the rates recommended by the District Level Committee constituted under clause (b) of sub-rule (1) of rule 2:

Provided that Inspector General of Stamps may revise the rates of agriculture, residential or commercial land determined by District Level Committee with prior approval of the State Government by notification published in the Official Gazette, if circumstances so require;

(b) in case of other categories of land, on the basis of the rates determined by Inspector General of Stamps with approval of State Government or determined by State Government by notification published in the Official Gazette;

(c) in case of constructed portion, on the basis of the rates determined by State Government;

(d) in case of proportionate land under the multistoried buildings on the basis of criteria specified by the State Government;

(e) while assessing market value, depreciation on the constructed portion shall be allowed according to the criteria specified by the State Government; and

(f) in case of corner plots on the basis of criteria specified by the State Government."

(ii) the existing sub-rule (2) shall be substituted by the following, namely:-

"(2) Inspector General of Stamps with approval of State Government shall prepare guidelines for District Level Committee, from time to time, in respect of determination of market value of the agriculture, residential and commercial categories of land. The District Level Committee while recommending the rates of agriculture, residential and commercial

categories of land, shall follow the guidelines issued by Inspector General of Stamps:

Provided that if the rates recommended by the District Level Committee are increased by more than fifty percent of the existing rates, the increased rates so recommended shall be taken into consideration only after the approval of the Inspector General of Stamps."

2. Insertion of rule 67-A.- After the existing rule 67 and before the existing rule 68 of the said rules, the following new rule 67-A shall be inserted, namely:-

"**67-A. Procedure for hearing of the cases by Chief Controlling Revenue Authority.-** A revision filed before the Chief Controlling Revenue Authority under section 65 of the Rajasthan Stamp Act, 1998, shall be heard and disposed off by the Chairperson or any member of the Chief Controlling Revenue Authority sitting in single Bench or by a Bench consisting of two or more members as may be decided by the Chairperson. However, a revision shall be heard and disposed off by a Bench of the Chief Controlling Revenue Authority consisting of two or more members where the disputed amount exceeds rupees ten lacs."

[No.F.4(4)FD/Tax/2015-233]
By order of the Governor,

(Manish Mathur)
Jt. Secretary to the Government